PV

2023/208

किस्म मुकदमा	नम्बर मुकदमा	तारीख दायर	आगामी तारीख पेशी
धारा 136	164/2023	6/7/2023	24/4/24
			29.5.24
			19.6.24
			10.7.24
			27/8/24

धा 135

ओमलाल रामकन्या पुत्र धुली माता सजनी निवासी केसरपुरा द.कु. अनुसूचित - विमुक्ताधिकार

बनाम

तहसीलदार बिजौलियां

T.D.R से जवाब प्राप्त

अनिलकुमार धाकड़
एडवोकेट प्रार्थी

31/7/24

~~[illegible]~~

कोमो स्टेशनर्स, मांडलगढ़ 230289

राजस्थान सरकार

ता. पेकी स्टेज 17 8/23

(कायदा — 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

01/11

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला–भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला कमीक 5
136 प्रार्थना पत्र	164/23	6/7/23		

अनवान

श्री ओमलाल / सखजी श्री तहसीलदार, बिजौलिया

निवासी केसरपुरा निवासी

TDR

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / मदयूनाम

श्री अनिल कु धाकड़ श्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमान अजित सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 164 / 2023

दायर तारीख 06 / 07 / 2023

अनवान

1. ओमलाल पुत्र माता सजनी उम्र 23 वर्ष सा. केसरपुरा तहसील बिजौलिया हाल मुकाम पिता शंकरलाल जाति धाकड़ ग्राम अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।
2. रामकन्या देवी पुत्री सजनी उम्र 26 वर्ष सा. केसरपुरा तहसील बिजौलिया हाल मुकाम पत्नि राकेश जाति धाकड ग्राम लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

..........प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :– 1. श्री अनिल कुमार धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थी।
2. पैरोकार सरकार

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 08/08/2024

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा ग्राम झाडोली पटवार हल्का सलावटियां तहसील बिजौलियां में प्रार्थीगण की शामलाती कृषि भूमि खाता संख्या 47 पर अंकित आराजी संख्या 334 रकबा 0.2185 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 46 पर अंकित आराजी संख्या 101 रकबा 0.1942 है0, आराजी संख्या 102 रकबा 0.1942 है0, आराजी संख्या 125 रकबा 0.2185 है0, आराजी संख्या 780 / 103 रकबा 0.1052 है0, आराजी संख्या 783 / 123 रकबा 0.0243 है0, आराजी संख्या 785 / 126 रकबा 0.0647 है0, आराजी संख्या 789 / 87 रकबा 0.0243 है0, आराजी संख्या 796 / 85 रकबा 0.0728 है0, आराजी संख्या 800 / 85 रकबा 0.0405 है0, आराजी संख्या 86 रकबा 0.0890 है0, आराजी संख्या 92 रकबा 0.0809 है0, आराजी संख्या 93 रकबा 0.4290 है0 कुल किता 12 रकबा 1.5376 है0 भूमि एवं इसी प्रकार से ग्राम सलावटियां पटवार हल्का सलावटियां पर अंकित खाता संख्या 68 पर अंकित आराजी संख्या 1069 रकबा 0.5342 है0, आराजी संख्या 1093 रकबा 0.1700 है0, आराजी संख्या 1413 / 1072 रकबा 0.2023 है0 कुल किता 03 रकबा 0.9065 है0 भूमि जमाबन्दी में ओमलाल पुत्र माता सजनी के स्थान पर शिवलाल पुत्र माता सजनी एवं रामकन्या पुत्री माता सजनी के स्थान पर सरिता पुत्री माता सजनी सहवन से हो गया जो कि गलत हैं। अतः प्रार्थीगण का नाम उक्तानुसार आराजीयात / जमाबन्दी में शुद्धिकरण कर शिवलाल पुत्र माता सजनी व सरिता पुत्री माता सजनी के स्थान पर ओमलाल पुत्र माता सजनी व रामकन्या पुत्री माता सजनी दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना भेज करवायी गई।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ मौजा ग्राम झाडोली, सलावटियां, बिजोलियां खुर्द की जमाबन्दी सम्वत 2077, नामान्तरण ग्राम झाडोली, सलावटियां, सजनी का मृत्यु प्रमाण पत्र, चुन्नी बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली हैं।

विपक्षी राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां ने उपस्थित होकर तहसीलदर बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/2024/1139 दिनांक 30.07.2024 से जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम बिजौलियां खुर्द की नकल जमाबन्दी संवत् 2077 खाता संख्या 156 में क्रमांक 01 पर ओमलाल पुत्र माता सजनी जाति धाकड निवासी केसरपुरा एवं क्रमांक 20 पर रामकन्या पुत्री माता सजनी धाकड़ निवासी केसरपुरा दर्ज रेकॉर्ड हैं एवं पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी सलावटियां एवं चान्द जी की खेड़ी तथा पटवारी द्वारा तैयार मौका पर्चा ग्राम अमृतपुरिया अनुसार मृतक सजनी पत्नि शंकरलाल के वारिस ओमलाल (पुत्र) एवं रामकन्या (पुत्री)होना अंकित है जिससे प्रार्थीगण का नाम ओमलाल पुत्र माता सजनी धाकड निवासी केसरपुरा एवं रामकन्या पुत्री माता सजनी धाकड निवासी केसरपुरा होने की पुष्टि होती है। जबकि बंशीलाल पिता पन्नालाल धाकड़ निवासी केसरपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र (शपथ पत्र) अनुसार चुन्नीबाई के वारिस बंशीलाल (पुत्र) एवं शारदा (पुत्री) तथा मृतक पुत्री सजनी के वारिस शिवलाल (पुत्र) एवं सरिता (पुत्री) होना अंकित हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् ग्राम झाडोली में जमाबन्दी खाता संख्या 46 व 47 तथा ग्राम सलावाटियां में जमाबन्दी खाता संख्या 68 में शिवलाल पुत्र माता सजनी के स्थान पर ओमलाल पुत्र माता सजनी एवं सरिता पुत्री माता सजनी के स्थान पर रामकन्या पुत्री माता सजनी शुद्ध किया जाना न्यायोचित हैं।

बहरा अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की सुनी गई हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया कि जमाबन्दी में सहवन से त्रुटि होने के कारण प्रार्थीगण का नाम उक्तानुसार आराजीयात/जमाबन्दी में शुद्धिकरण कर शिवलाल पुत्र माता सजनी व सरिता पुत्री माता सजनी के स्थान पर ओमलाल पुत्र माता सजनी व रामकन्या पुत्री माता सजनी दर्ज करवाना चाहा हैं। तथा तहसीलदार बिजौलियां ने भी ग्राम झाडोली में जमाबन्दी खाता संख्या 46 व 47 तथा ग्राम सलावाटियां में जमाबन्दी खाता संख्या 68 में शिवलाल पुत्र माता सजनी के स्थान पर ओमलाल पुत्र माता सजनी एवं सरिता पुत्री माता सजनी के स्थान पर रामकन्या पुत्री माता सजनी शुद्ध किये जाने हेतु अपनी स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं पैरोकार सरकार के जवाब पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी की ग्राम झाडोली में जमाबन्दी खाता संख्या 46 व 47 तथा ग्राम सलावाटियां में जमाबन्दी खाता संख्या 68 में खातेदार के नाम में शुद्धिकरण कर शिवलाल पुत्र माता सजनी के स्थान पर ओमलाल पुत्र माता सजनी एवं सरिता पुत्री माता सजनी के स्थान पर रामकन्या पुत्री माता सजनी किया जाना उचित हैं। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** स्वीकार किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 08/08/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(अजित सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक / राजस्व / 2024 / 1469 दिनांक: 20/08/2024

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलिया

विषय :– प्रकरण संख्या 164 / 2023 ओमलाल बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां में निर्णित आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुवानी प्रकरण में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम झाडोली के खाता संख्या 46 एवं 47 की जमाबंदी में तथा ग्राम सलावटिया में खाता संख्या 68 की जमाबंदी में खातेदार के नाम में शुद्धीकरण कर शिवलाल पुत्र माता सजनी के स्थान पर ओमलाल पुत्र माता सजनी एवं सरीता पुत्री माता सजनी के स्थान पर रामकन्या पुत्री माता सजनी किया जाकर शुद्धीकरण किया जाना का आदेश पारित हुआ है ।

अतः न्यायालय निर्णयनुसार राजस्व जमाबंदीयों में शुद्धीकरण कर पालना रिपोर्ट 10 दिवस में इस न्यायालय में भिजवाने की सुनिशचितता करें।

संलग्न :– **निर्णय की प्रमाणित प्रति।**

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां (भीलवाड़ा)